न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

कम्प्यूटर सं०- 1454/2013

मुकदमा नं०- 13746/2019

अपराध संख्या- 883/2007

राज्य बनाम कृपाल आदि।

<u>सुपुर्दगी आदेश</u>

<u>16.12.2019</u>

पुलिस थाना मझौला, जिला मुरादाबाद की रिपोर्ट पर संस्थित कार्यवाही में अपराध संख्या-883/2007 में अभियुक्तगण कृपाल व राजू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 147, 148, 149, 307, 323, 332, 353, 336, 427, 436 भा०दं०सं०, 7 क्रिमनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है। स्पष्टतः मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अभियुक्त कृपाल न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त राजू के अनुपस्थित रहने के कारण उसकी पत्रावली इस मामले से पृथक की जाती है।

सहअभियुक्त किशोर की पत्रावली पूर्व में दिनाँक 07.02.2013 को माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द की जा चुकी है।

अभियुक्त को दारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्राविधानित प्रतिलिपियाँ प्रदान करा दी गई है।

कार्यवाही के अभिलेख तथा अन्य सामग्री जो साक्ष्य में देय हो, मय कलैण्डर माननीय सत्र न्यायालय को अविलम्ब भेजा जाए।

अभियुक्त उपरोक्त माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष दिनाँक 06.01.2020 को पेश हो।

लोक अभियोजक सूचित हों।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

मुरादाबाद